सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 आषाढ़, 1948 (श०)

संख्या - 350 राँची, गुरुवार, 25 जून, 2026 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

अधिसूचना

24 जून, 2026

संख्या-09/आरोप-राँची-28/2024 - 1859(09)/रा.,-- श्री शशि भूषण सिंह सम्प्रति सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, पलामू के विरूद्ध राजस्व उपनिरीक्षक, रातू अंचल के पद पर पदस्थापना के दौरान मूल जमाबंदी से अधिक जमाबंदी कायम करने की अनुशंसा करने के आरोप में जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, राँची के ज्ञापांक-540(ii), दिनांक-25.03.2021 द्वारा आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रारंभ किया गया।

उक्त विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता, नक्सल, राँची को संचालन पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी, नगड़ी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया।

अपर समाहर्त्ता, नक्सल, राँची के पत्रांक-513(ii), दिनांक-06.09.2023 के माध्यम से उक्त विभागीय कार्यवाही का जांच प्रतिवेदन प्रेषित है। जांच पदाधिकारी ने अपने निष्कर्ष में श्री सिंह के विरूद्ध गठित आरोप को प्रमाणित माना है।

विभागीय कार्यवाही प्रारंभ होने के समय आरोपित श्री शशि भूषण सिंह, अराजपत्रित पद यथा तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक, रातु के पद पर पदस्थापित थे। वर्तमान में वे सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, पलामू के पद पर पदस्थापित है। अतः विधि विभाग के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता से प्राप्त मंतव्य के उपरांत अग्रेतर कार्रवाई विभागीय स्तर पर की गई ।

श्री सिंह के विरूद्ध गठित आरोप पत्र, जांच पदाधिकारी का जांच प्रतिवेदन एवं श्री सिंह के बचाव बयान का विभाग स्तर पर समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत श्री सिंह के विरूद्ध दो वार्षिक वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक के दण्ड अधिरोपित करने के बिन्दु पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया गया है ।

उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक-463, दिनांक-25.02.2026 द्वारा श्री सिंह से द्वितीय कारण पृच्छा की गई। समीक्षोपरांत श्री सिंह से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा असंतोषजनक एवं अस्वीकार्य पाया गया ।

अतः श्री शशि भूषण सिंह, तत्कालीन राजस्व कर्मचारी, रातू अंचल, सम्प्रति-सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, पलामू विरूद्ध दो वार्षिक वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक के दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया जाता है ।

प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मंजू रानी स्वांसी,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 350-- 50